सत्यमेव जयते

संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान

की निष्पादन लेखापरीक्षा

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

सफ़ाई में भलाई

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

2015 की प्रतिवेदन सं. 28

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संपूर्ण स्वच्छता अभियान / निर्मल भारत अभियान
की निष्पादन लेखापरीक्षा पर

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु

संघ सरकार (सिविल)
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
2015 की प्रतिवेदन सं. 28
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	vii
	कार्यकारी सारांश	ix
अध्याय-1	**प्रस्तावना**	1
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एक दृष्टि में	1
1.3	उद्देश्य एवं क्रियाकलाप	3
1.4	कार्यक्रमों का वित्त पोषण	5
1.5	प्रचालन व्यवस्था	6
1.6	विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार भारत में ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति	7
1.6.1	यूनिसेफ/वि.स्वा.सं. रिपोर्ट	7
1.6.2	संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन	9
1.6.3	निर्मल ग्राम पुरस्कार के प्रभाव तथा स्थिरता का निर्धारण अध्ययन	10
1.7	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा पद्धति	11
1.7.1	लेखापरीक्षा उद्देश्य	11
1.7.2	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	12
1.7.3	लेखापरीक्षा नमूना	12
1.7.4	लेखापरीक्षा मापदण्ड तैयार करने के स्रोत	13
1.7.5	लेखापरीक्षा पद्धति	14
1.7.6	लेखापरीक्षिती की प्रतिक्रिया	15
1.7.7	रिपोर्टिंग पद्धति	15
अध्याय-2	**योजना**	16
2.1	प्रस्तावना	16
2.2	परियोजना कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करने में विसंगतियां	16
2.3	वार्षिक कार्यान्वयन योजना	19

2.3.1	ग्रा.पं. योजना का ब्लॉक योजना तथा आगे जिला योजना में समेकन न किया जाना	19
2.3.2	अन्य विसंगतियां	20
2.4	लाभार्थियों के आवृतन में कमी	21
2.4.1	ग.रे.नी. के लाभार्थी	21
2.4.2	ग.रे.उ. के लाभार्थी	21
2.4.3	लाभार्थियों के चयन में अन्य विसंगतियां	21
2.4.4	संतृप्ति हेतु ग्रा.पं. का चयन	22
2.4.4.1	संतृप्ति हेतु ग्रा.प. का गैर चयन	22
2.4.4.2	अन्य विसंगतियां	23
2.5	संरचनात्मक व्यवस्था	23
2.5.1	योजना की कमी: राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा.ज.स्व.मि.) की बैठकों में कमी	24
2.5.2	योजना की कमी: जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (जि.ज.स्व.मि.) की बैठकों में कमी	25
2.5.3	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रा.ज.स्व.स.) का गठन न करना	27
2.5.4	जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (ज.स्व.स.सं.) का गठन न करना	28
2.5.5	ब्लॉक अनुसंधान केन्द्र (ब्लॉ.अ.के.) का गठन न करना	29
अध्याय-3	**परियोजना कार्यान्वयन**	31
3.1	लक्ष्य एवं उपलब्धियां	31
3.1.1	उपलब्धियों में कमी	31
3.1.2	अतिशयोक्तिपूर्ण उपलब्धि	33
3.1.3	योजना के अंतर्गत 22 जिलों को शामिल न करना	34
3.2	परियोजना कार्यान्वयन	37
3.2.1	व्यक्तिगत घरेलू शौचघर (व्य.घ.शौ.)	37
3.2.1.1	अप्रचलित शौचघर	37
3.2.1.2	अपूर्ण निर्माण	41
3.2.1.3	बॉल्टी शौचालयों का स्वच्छ शौचालयों में गैर-परिवर्तन	43

3.2.1.4	ठेकेदारों/गै.स.सं. द्वारा व्य.घ.शौ.	44
3.2.1.5	अन्य कमियां	45
3.2.2	सामुदायिक स्वच्छता परिसर	47
3.2.2.1	सा.स्व.प. का गैर अनुरक्षण	47
3.2.2.2	अन्य कमियां	48
3.2.3	विद्यालय के शौचालय	51
3.2.3.1	निर्माण में अनियमितताएं	52
3.2.3.2	अन्य अनियमितताएं	53
3.2.4	आंगनवाड़ी शौचालय	54
3.2.4.1	वित्तीय अनियमितताएं	55
3.2.4.2	अन्य अनियमितताएं	56
3.2.5	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	57
3.2.5.1	प्रारम्भ न की गयी ठो.त.अ.प्र. गतिविधियां	57
3.2.5.2	ठो.त.अ.प्र. परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं	58
3.2.6	ग्रामीण स्वास्थ्य बाजार तथा उत्पादन केन्द्र	59
3.2.6.1	प्रारम्भ न किए गए ग्रा.स्वा.बा. कार्य	60
3.2.6.2	ग्रा.स्वा.बा. परियोजनाओं में अनियमितताएं	60
3.2.7	परिक्रामी निधि	63
3.2.7.1	परिक्रामी निधि के सृजन तथा संचालन में कमियां	63
अध्याय-4	**निधियों का प्रबंधन**	67
4.1	योजना कार्यान्वयन हेतु वित्त पोषण का स्रोत	67
4.2	योजना के अंतर्गत निधियों का न्यून उपयोग	68
4.3	निधियों की केन्द्रीय हिस्सेदारी के निर्गम में कमी	71
4.4	निधियों की राज्यीय हिस्सेदारी के निर्गम में कमी	72
4.5	कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के अतंरण में विलंब	73
4.6	योजना की निधियों का दुरूपयोग	74
4.7	₹ 364.20 करोड़ की राशि की निधियों का विपथन	74
4.8	निधियों का अनियमित अंतर-जिला अंतरण	76
4.9	₹ 212.14 करोड़ की निधियों का अवरूद्ध होना	76

4.10	कार्यान्वयन अभिकरणों को दिए गए अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	76
4.11	₹ 575.18 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया गया	77
4.12	अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार	77
4.13	योजना निधियों का अनुचित लेखाकरण	77
4.14	आंकड़ों में विसंगतियाँ	80
4.15	लेखाओं की लेखापरीक्षा में विलंब	81
4.16	लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना	82
4.17	विविध अभ्युक्तियां	82
अध्याय-5	**सूचना, शिक्षा एवं संचार**	85
5.1	सू.शि.सं. गतिविधियों का महत्व	85
5.2	निधियों की उपयोगिता	85
5.2.1	निधियों का विपथन	86
5.2.2	राज्य स्तर पर निधियों की उपयोगिता में अनियमितताएं	86
5.3	उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	88
5.4	सू.शि.सं. हेतु वार्षिक कार्रवाई योजना को तैयार न किया जाना	89
5.5	अन्य विसंगतियां	89
5.5.1	प्रेरकों को कार्य पर न रखा जाना	89
5.5.2	सू.शि.सं. कर्मियों को प्रशिक्षण	90
5.5.3	लोकसभा टी.वी. पर सू.शि.सं. अभियान	91
5.6	सू.शि.सं. की प्रभावकारिता का मूल्यांकन	92
अध्याय-6	**अभिसरण**	95
6.1	अभिसरण – एक सामरिक नीति के रूप में	95
6.2	अन्य विभागों के साथ अभिसरण	95
6.3	अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण	97
6.4	औद्योगिक समूहों की भूमिका	99

6.5	गै.स.सं. की भूमिका	100
6.6	भारतीय रेल के साथ अभिसरण	101
अध्याय-7	**अनुश्रवण और मूल्यांकन**	103
7.1	प्रस्तावना	103
7.2	निधियों का उपयोग न होना	104
7.3	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (स.प्र.सू.प्र.)	104
7.4	राज्य स्तर पर मूल्यांकन अध्ययन	108
7.5	राज्य स्तर पर अनुसंघान अध्ययन	108
7.6	समवर्ती अनुश्रवण तथा मूल्यांकन	109
7.7	राष्ट्रीय पुनरीक्षा मिशन	110
7.8	राष्ट्रीय स्तर अनुश्रवण (रा.स्त.अ.)	110
7.9	अन्य स्तरों पर अनुश्रवण	112
7.9.1	निरीक्षण	112
7.9.2	राज्य पुनरीक्षा मिशन	113
7.9.3	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनरीक्षा	114
7.9.4	सामाजिक लेखापरीक्षा	115
7.9.5	विभागीय अनुश्रवण	116
अध्याय-8	**निष्कर्ष**	117
	अनुबंध	121-223
	शब्दावली	224-225